[2021] 2 उम. नि. प. 374

# राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली) स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो

बनाम

# लोकेश चड्ढा

[2021 की दांडिक अपील सं. 257]

2 मार्च, 2021

**न्यायमूर्ति डा. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 389 [सपठित स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 23(ग), 25-क और 37] – अपील के लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन; जमानत पर छोड़ा जाना – प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का अवैध रूप से भारत से निर्यात – विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – उच्च न्यायालय में अपील – उच्च न्यायालय द्वारा अपील के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी के दंडादेश के निलंबन और जमानत प्रदान करने के आवेदन को अस्पष्ट कारण अभिलिखित करते हुए मंजूर किया जाना – संधार्यता – जहां विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अधिनियम की उक्त धाराओं के अधीन अपराधों के लिए साक्ष्य के आधार पर और विचारण पूर्ण होने के उपरांत दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया हो, वहां उच्च न्यायालय दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई अपील में अपील के लंबित रहने के दौरान स्पष्ट कारण अभिलिखित किए बिना अभियुक्त के दंडादेश का निलंबन और जमानत प्रदान नहीं कर सकता है ।**

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली अंचल इकाई के अन्वेषक अधिकारी को तारीख 2 दिसंबर, 2015 को डीएचएल कूरियर से एक फोन काल प्राप्त हुई कि कार्यालय में दो पार्सल पड़े हुए हैं और उनमें स्वापक ओषधियां होने का संदेह है । तद्नुसार, स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली अंचल इकाई का एक

दल डीएचएल के कार्यालय पहुंचा । दो पार्सल अभिगृहीत किए गए । पार्सलों में 325 ग्राम हिरोइन और 390 ग्राम स्यूडोफेड्राइन पाया गया । पार्सल सह-अभियुक्त द्वारा, जो प्रत्यर्थी का कर्मचारी था, एक विदेशी नागरिक की प्रेरणा पर विदेशी गंतव्य के लिए बुक किए गए थे । प्रत्यर्थी स्वयं कूरियर एजेंसी का स्वत्वधारी है जिसने आरंभ में विदेशी नागरिक से पार्सलों को बुक करने के लिए प्राप्त किया था । विशेष न्यायाधीश अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध होता है, किंतु सह-अभियुक्त को इस आधार पर संदेह का फायदा प्रदान किया गया कि वह मात्र एक कर्मचारी था जो प्रत्यर्थी की प्रेरणा पर कार्य कर रहा था । प्रत्यर्थी को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 23(ग) और 25क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया और उसे जुर्माने के अतिरिक्त धारा 23(ग) के अधीन अपराध के लिए दस वर्ष तथा धारा 25क के उपबंधों के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था । प्रत्यर्थी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की गई और अपील के लंबित रहने के दौरान दंडादेश के निलंबन की ईप्सा की गई । उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के आवेदन को मंजूर किया गया । उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर राज्य स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – जिस अपराध के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी को दोषसिद्ध किया गया था, वह अपराध स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 23(ग) और 25क के उपबंधों में से उद्भूत होता है । विद्वान् विशेष न्यायाधीश के निष्कर्ष से, जो प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर विचारण के पश्चात् निकाले गए थे, यह उपदर्शित होता है कि प्रत्यर्थी, जो एक कूरियर एजेंसी का स्वत्वधारी था, जो उन दो पार्सलों को बुक करने में एक विदेशी नागरिक के साथ सहापराधी था, जिनमें 325 ग्राम हिरोइन और 390 ग्राम स्यूडोफेड्राइन पाई गई थी । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 में यह अनुध्यात है कि धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अधीन अपराधों

के लिए दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को तथा ऐसे अपराधों के किसी अभियुक्त व्यक्ति को भी जिनमें कोई वाणिज्यिक मात्रा अंतर्वलित है, वहां जमानत पर निर्मुक्त नहीं किया जाएगा, जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है और जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि "यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है" । जहां विचारण का समापन दोषसिद्धि के आदेश से होता है वहां उच्च न्यायालय को, जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अधीन दंडादेश के निलंबन की ईप्सा की गई हो, इस तथ्य का सम्यक् रूप से अवश्य संज्ञान होना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा दोषिता का निष्कर्ष विचारण के समापन पर निकाला गया था । इसका यह अर्थ नहीं है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अधीन दंडादेश का निलंबन करने के लिए अपनी शक्ति से वंचित हो जाता है । उच्च न्यायालय ऐसा उन पर्याप्त कारणों से कर सकता है जिनका सरोकार अवश्य उस लोक नीति से होना चाहिए जो स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम में धारा 37 सम्मिलित करके निहित की गई है । प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने दुर्भाग्यवश स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम को शासित करने वाले सिद्धांतों पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है । जो सामग्री विद्वान् विशेष न्यायाधीश के समक्ष लाई गई थी और जिस पर दोषसिद्धि का आदेश आधारित है, उसके आधार पर हमारा यह मत है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अधीन दंडादेश के निलंबन के लिए कोई मामला सिद्ध नहीं होता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अधीन दंडादेश के निलंबन को मंजूर करने वाला आदेश असंधार्य है और तद्नुसार इसे अपास्त करना होगा । (पैरा 9 और 10)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2020] | 2020) 8 एस. सी. सी. 645 : | |
| | **प्रीतपाल सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; | 9 |

[2020] (2020) 12 एस. सी. सी. 122 :
**केरल राज्य** बनाम **राजेश** । 10

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 257.**

2020 के दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं. 7540 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तारीख 28 जुलाई, 2020 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** सर्वश्री अमन लेखी, अपर महा सालिसिटर, भरत सिंह, बी. वी. बलराम दास, दिव्यांश एच. राठी और अनिरुद्ध बाखरू

**प्रत्यर्थी की ओर से** सुश्री निधि और श्री जयदीप पाटी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डा. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने दिया ।

**न्या. चंद्रचूड़** – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के तारीख 28 जुलाई, 2020 के उस निर्णय से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "दंड प्रक्रिया संहिता") की धारा 389(1) के अधीन दंडादेश के निलंबन की ईप्सा करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए आवेदन को मंजूर किया गया था ।

3. प्रत्यर्थी को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 23(ग) और 25क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था । उसे जुर्माने के अतिरिक्त धारा 23(ग) के अधीन अपराध के लिए दस वर्ष तथा धारा 25क के उपबंधों के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था ।

4. संक्षेप में, स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली अंचल इकाई के अन्वेषक अधिकारी को तारीख 2 दिसंबर, 2015 को डीएचएल कूरियर से एक फोन काल प्राप्त हुई कि कार्यालय में दो पार्सल पड़े हुए हैं और उनमें स्वापक ओषधियां होने का संदेह है । तद्नुसार, स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली अंचल इकाई का एक दल डीएचएल के कार्यालय

पहुंचा । दो पार्सल अभिगृहीत किए गए । पार्सलों में 325 ग्राम हिरोइन और 390 ग्राम स्यूडोफेड्राइन पाया गया । पार्सल सह-अभियुक्त द्वारा, जो प्रत्यर्थी का कर्मचारी था, एक विदेशी नागरिक की प्रेरणा पर विदेशी गंतव्य के लिए बुक किए गए थे । प्रत्यर्थी स्वयं कूरियर एजेंसी का स्वत्वधारी है जिसने आरंभ में विदेशी नागरिक से पार्सलों को बुक करने के लिए प्राप्त किया था ।

5. विशेष न्यायाधीश अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध होता है, किंतु सह-अभियुक्त को इस आधार पर संदेह का फायदा प्रदान किया गया कि वह मात्र एक कर्मचारी था जो प्रत्यर्थी की प्रेरणा पर कार्य कर रहा था । प्रत्यर्थी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की गई । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने दंडादेश के निलंबन के लिए आवेदन पर विचार करते हुए आक्षेपित आदेश के पैरा 2 में प्रत्यर्थी की निम्नलिखित दलीलों को अभिलिखित किया :–

> "2. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिए गए 10 वर्ष के कुल कारावास में से उसने पहले ही लगभग चार वर्ष और चार माह की अवधि भुगत ली है । उन्होंने न्यायालय का ध्यान अभिलेख की ओर यह दर्शित करने के लिए दिलाया कि यद्यपि अपीलार्थी को, जो कूरियर कंपनी का स्वामी था, दोषसिद्ध किया गया है और कंपनी के कर्मचारी को, जिसने पार्सल प्राप्त किए थे, उन्हीं साक्ष्य के आधार पर दोषमुक्त किया गया है । यह भी दलील दी गई कि परेषक को गिरफ्तार करने के लिए कोई अन्वेषण नहीं किया गया था । उन्होंने यह भी दलील दी कि चूंकि अपील की अंतिम सुनवाई होने में कुछ समय लगने की संभावना है, इसलिए अपीलार्थी को उस समय तक कारागार में रखने से किसी उपयोगी प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी और यह निवेदन किया कि अपीलार्थी के दंडादेश को अपील के लंबित रहने के दौरान निलंबित कर दिया जाए ।"

6. स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो की ओर से ज्येष्ठ स्थायी काउंसेल द्वारा, जो दंडादेश के निलंबन का विरोध करने के लिए हाजिर

हुए थे, आवेदन का विरोध किया गया । उच्च न्यायालय ने दंडादेश के निलंबन का आदेश पारित करते हुए आदेश के पैरा 4 में अपने कारणों को उपदर्शित किया है, जो निम्नलिखित हैं :–

> "4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अपीलार्थी द्वारा भुगत ली गई अवधि और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कोविड-19 महामारी द्वारा कारित अवरोध के कारण निकट भविष्य में अपील पर सुनवाई किए जाने की संभावना नहीं है, इसलिए आवेदन मंजूर किया जाता है और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी के दंडादेश को संबंधित कारागार अधीक्षक/ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समाधानप्रद 50,000/- रुपए की राशि के स्वीय बंधपत्र और इतनी ही रकम के एक प्रतिभू के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्यधीन रहते हुए निलंबित किया जाता है –
>
> (i) अपीलार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली को नहीं छोड़ेगा ।
>
> (ii) जब कभी अपील अंतिम सुनवाई के लिए आती है, अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा ।
>
> (iii) पते में परिवर्तन की दशा में, अपीलार्थी तत्परता से इसके बारे में संबंधित अन्वेषक अधिकारी तथा न्यायालय को सूचित करेगा ।"

7. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महा सालिसिटर, श्री अमन लेखी ने यह दलील दी कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के उपबंधों में जमानत के लिए आवेदन मंजूर किए जाने से पूर्व कठोर अपेक्षाएं अंतर्विष्ट हैं । विद्वान् अपर महा सालिसिटर ने यह दलील दी कि इन अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा यह है कि "न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है ।" यह दलील दी गई कि इस जैसे मामले में, जहां दोषसिद्धि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की

धारा 23(ग) और 25क के उपबंधों के अधीन की गई है, धारा 37 की यह अपेक्षा कि "यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है" अवश्य अधिक प्रबलता से लागू होनी चाहिए, क्योंकि विचारण न्यायालय विचारण करने के पश्चात् प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अपराध को सिद्ध किया गया है । प्रस्तुत मामले में, यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत प्रदान करने के लिए सिवाय मामले के "तथ्यों और परिस्थितियों" का अस्पष्ट संदर्भ देने, प्रत्यर्थी द्वारा भुगत ली गई अवधि और यह तथ्य कि अपील पर कोविड-19 महामारी द्वारा कारित अवरोध के कारण निकट भविष्य में सुनवाई किए जाने की संभावना नहीं है, कतई कोई कारण उपदर्शित नहीं किए गए हैं ।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाएं समिति की मार्फत हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री निधि ने विचारण न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया और यह दलील दी कि प्रथमदृष्ट्या प्रत्यर्थी की अंतर्ग्रस्तता को सिद्ध नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त, यह दलील दी गई कि प्रत्यर्थी ने लगभग चार वर्ष और चार माह का कारावास भुगत लिया है और उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया था, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने का मामला नहीं बनता है ।

9. परस्पर-विरोधी दलीलों पर विचार करते हुए, हमें प्रारंभ में उस रीति का उल्लेख करना होगा जिसमें उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अधीन दंडादेश के निलंबन के लिए आवेदन पर विचार किया था । जिस अपराध के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी को दोषसिद्ध किया गया था, वह अपराध स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 23(ग) और 25क के उपबंधों में से उद्भूत होता है । विद्वान् विशेष न्यायाधीश के निष्कर्ष से, जो प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर विचारण के पश्चात् निकाले गए थे, यह उपदर्शित होता है कि प्रत्यर्थी,

जो एक कूरियर एजेंसी का स्वत्वधारी था, जो उन दो पार्सलों को बुक करने में एक विदेशी नागरिक के साथ सहापराधी था, जिनमें 325 ग्राम हिरोइन और 390 ग्राम स्यूडोफेड्राइन पाई गई थी । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 में यह अनुध्यात है कि धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अधीन अपराधों के लिए दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को तथा ऐसे अपराधों के किसी अभियुक्त व्यक्ति को भी जिनमें कोई वाणिज्यिक मात्रा अंतर्वलित है, वहां जमानत पर निर्मुक्त नहीं किया जाएगा, जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है और जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि "यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है" । जहां विचारण का समापन दोषसिद्धि के आदेश से होता है वहां उच्च न्यायालय को, जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अधीन दंडादेश के निलंबन की ईप्सा की गई हो, इस तथ्य का सम्यक् रूप से अवश्य संज्ञान होना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा दोषिता का निष्कर्ष विचारण के समापन पर निकाला गया था । इसका यह अर्थ नहीं है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अधीन दंडादेश का निलंबन करने के लिए अपनी शक्ति से वंचित हो जाता है । उच्च न्यायालय ऐसा उन पर्याप्त कारणों से कर सकता है जिनका सरोकार अवश्य उस लोक नीति से होना चाहिए जो स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम में धारा 37 सम्मिलित करके निहित की गई है । इस प्रक्रम पर, हम **प्रीतपाल सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ के विनिश्चय को निर्दिष्ट करेंगे, जिसमें न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने न्यायालय की ओर से निर्णय सुनाते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :–

> "35. विचारण-पूर्व गिरफ्तारी की दशा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत प्रदान करने और दोषसिद्धि-

---

[1] (2020) 8 एस. सी. सी. 645.

पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन दंडादेश के निलंबन और जमानत प्रदान करने के बीच फर्क है । पूर्ववर्ती दशा में, निर्दोषिता की उपधारणा की जा सकेगी जो कि दांडिक विधिशास्त्र का मूलभूल आधार-तत्व है और न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए इस सिद्धांत के आधार पर उदार हो सकते हैं कि जमानत नियम है और कारागार अपवाद है, जैसा कि दाताराम सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, तथापि, दोषसिद्धि-पश्चात् दंडादेश के प्रवर्तन को निलंबित करके जमानत प्रदान करने की दशा में, दोषिता का निष्कर्ष होने पर, निर्दोषिता की उपधारणा का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । जब एक बार विचारण के उपरांत दोषसिद्धि हो जाती है, तो नियम के तौर पर जमानत और कारागार अपवाद का सिद्धांत लागू नहीं होता है, बल्कि न्यायालय को दंडादेश के निलंबन और जमानत प्रदान करने के आवेदन पर विचार करते हुए प्रथमदृष्ट्या अपील के गुणागुण के साथ-साथ अन्य बातों पर विचार करना होता है । दोषसिद्धि का आदेश होते हुए दंडादेश का निलंबन करके जमानत प्रदान करने के लिए प्रबल बाध्यकारी कारण होने चाहिएं और प्रबल और बाध्यकारी कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) में आदिष्ट अनुसार जमानत प्रदान करने के आदेश में अवश्य अभिलिखित किए जाने चाहिएं ।"

10. उन सिद्धांतों को, जिनसे स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन मामले में जमानत प्रदान करने के लिए मार्गदर्शित होना चाहिए, इस न्यायालय के अनेक विनिश्चयों में दोहराया गया है और हम **केरल राज्य** बनाम **राजेश**[1] वाले मामले में के विनिश्चय को निर्दिष्ट कर सकते हैं । प्रस्तुत मामले में, उच्च न्यायालय ने दुर्भाग्यवश स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम को शासित करने वाले सिद्धांतों पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है । जो सामग्री विद्वान् विशेष न्यायाधीश के समक्ष लाई गई थी और जिस पर

---

[1] (2020) 12 एस. सी. सी. 122.

दोषसिद्धि का आदेश आधारित है, उसके आधार पर हमारा यह मत है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अधीन दंडादेश के निलंबन के लिए कोई मामला सिद्ध नहीं होता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अधीन दंडादेश के निलंबन को मंजूर करने वाला आदेश असंधार्य है और तद्नुसार इसे अपास्त करना होगा ।

11. तथापि, समापन करते हुए हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारी मताभिव्यक्तियां इस प्रश्न तक सीमित हैं कि क्या दंडादेश के निलंबन का मामला बनता है या नहीं और जब उच्च न्यायालय के समक्ष अपील सुनवाई के लिए आएगी उस समय मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करेगा ।

12. उपरोक्त कारणों से, हम इस अपील को मंजूर करते हैं । प्रत्यर्थी के दंडादेश को निलंबित करते हुए उच्च न्यायालय के तारीख 28 जुलाई, 2020 के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी दंडादेश के लिए तुरंत अभ्यर्पण करेगा । तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी ने चार वर्ष और चार माह का कारावास भुगत लिया है, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि प्रत्यर्थी द्वारा दंडादेश के लिए अभ्यर्पण करने के उपरांत अपील पर सुनवाई करने और अंतिम निपटारे के लिए कार्यवाही करेगा और वर्ष 2021 के अंत तक इसका निपटारा करेगा ।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई है, का निपटारा हो जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.